10

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2019

संख्या– 3/एल–6–1–28/2018– /**डा0 शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, सम्प्रति मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षारत** को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक–6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी, साथ हीं सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबावदेही स्वयं चिकित्सक की होगी जिसके विनियमन हेतु वे दावा नहीं करेंगे ।

2. **डा0 शैलेन्द्र मोहन ठाकुर** भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/एल–6–1–28/2018–717(3)/स्वा0, पटना, दिनांक : 18/6/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि **डा0 शैलेन्द्र मोहन ठाकुर** का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/**डा0 शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली**/कोषागार पदाधिकारी, **वैशाली** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. **सिविल सर्जन, वैशाली** से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत, **चिकित्सा पदाधिकारी** का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा–2,3,8,9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.6.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\VRS Letter & Notification-2019.docx-1866-1:26pm